निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण 1932 (श0)

(सं0 पटना 770) पटना, मंगलवार, 30 नवम्बर 2010

पथ निर्माण विभाग

————————

अधिसूचना

19 नवम्बर 2010

सं0 निग0सारा0–5 (ग्राम्य) 2032/02–15653 (S)—श्री जाहिद हुसैन, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवा–निवृत सहायक अभियंता के विरुद्ध ग्राम्य अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडल पटना के पदस्थापन काल में 170.158 एम0 टी0 विटुमिन के गवन के आरोप के लिए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 69 सह–पठित–ज्ञापांक–1389 (ई0) अनु0, दिनांक 05 मार्च 2001 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। दिनांक 31 जनवरी 2008 को श्री हुसैन के सेवा–निवृत होने के फलस्वरूप उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12166 (एस), दिनांक 18 सितम्बर 2008 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 485 अनु0, दिनांक 31 अगस्त 2001 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री हुसैन के विरुद्ध गठित एक मात्र आरोप को प्रमाणित नहीं माना गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 2608 (एस), दिनांक 12 मई 2005 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलगन करते हुए श्री हुसैन के विरुद्ध लेखा समायोजन के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल पटना से मंतव्य/प्रतिवेदन की मांग की गयी। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1189 अनु0, दिनांक 14 मई 2009 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में श्री हुसैन द्वारा कोई भी लेखा अवर प्रमंडल में हस्तगत नही कराये जाने, भंडार पंजी एवं स्थल लेखा पंजी विभिन्न कारणो से मैनुपुलेटेड सिद्ध होने, भंडार लेखा में 3.647 एम0टी0 की प्रविष्टि अंकित नही होने, हस्त रसीद नियमानुकूल नही होने तथा भंडार लेखा एवं स्थल लेखा में प्रविष्टि ससमय नही किये जाने का उल्लेख करते हुए श्री हुसैन के लेखा का समायोजन नियमानुकूल संभव नहीं होना बताया गया। कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इसे घोर कदाचार एवं सरकार को हुई आर्थिक क्षति के रूप में परिगणित करते हुए उक्त राशि की वसूली एवं शत प्रतिशत पेंशन जब्त करने के विन्दु पर संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल पटना से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 10431 (एस), दिनांक 18 सितम्बर 2009 द्वारा श्री हुसैन से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री हुसैन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 27 जनवरी 2010 में इनके द्वारा मुख्य रूप से कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन के साथ संलग्न सहायक अभियंता के प्रतिवेदन को अस्पष्ट होने का उल्लेख करते हुए सेवा–निवृत्ति से पूर्व संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के पश्चात कनीय अभियंता से सहायक अभियंता में प्रोन्नति एवं ए0सी0पी0 का लाभ देने तथा इस अवधि में द्वितीय कारण पृच्छा नहीं पूछने को इस बात का परिचायक

बताया है कि विभाग संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत था। इन्होनें बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत कार्रवाई संचालित करना नियम विरुद्ध बताया।

4. श्री हुसैन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 27 जनवरी 2010 के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री हुसैन ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में ऐसा कोई तथ्य नही दिया है जो 170.158 एम0टी0 विटुमिन, जिसकी कीमत 9,71,716.19 (नौ लाख इक्हतर हजार सात सौ सोलह रुपया उन्नीस पैसा) आंकी गयी थी, के गबन नही होने को प्रमाणित करता हो, बल्कि इसके विपरीत कार्यपालक अभियंता का प्रतिवेदन स्पष्ट है जिसमें यह अंकित किया गया है कि श्री हुसैन के द्वारा कोई भी लेखा हस्तगत नही कराया गया, भंडार पंजी एवं स्थल लेखा पंजी मैनुपुलेटेड है, आदि–आदि। इस प्रकार श्री हुसैन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को असंतोषजनक पाते हुए सम्यक विचारोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए पेंशन शून्य पर संधारित करते हुए उनसे रुपया 9,71,716.19 (नौ लाख इक्हतर हजार सात सौ सोलह रूपया उन्नीस पैसा) मात्र की वसूली करने के दंड पर सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 4914 (एस) अनु0, दिनांक 05 अप्रील 2010 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/सहमति की माँग की गई।

5. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2091, दिनांक 11 नवम्बर 2010 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दण्ड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। अतएव श्री जाहिद हुसैन तत्कालीन कनीय अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवा–निवृत सहायक अभियंता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता हैः–

(क) पेंशन को शून्य पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) 9,71,716.19 (नौ लाख इक्हतर हजार सात सौ सोलह रूपया उन्नीस पैसा) श्री हुसैन के सेवा–निवृत्त लाभों से किया जायगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 770-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in